दिनांक 13.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 18/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा स्वतंत्रता दिवस–2025 एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दृष्टिगत उच्चस्तर की सतर्कता एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देश

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश पुलिस को स्वतंत्रता दिवस–2025 एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दृष्टिगत उच्चस्तर की सतर्कता एवं कानून–व्यवस्था के सम्बन्ध में समय–समय पर मुख्यालय स्तर से निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गयेः–

- स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समस्त महत्वपूर्ण आयोजनों/कार्यक्रमो यथा तिरंगा यात्रा/प्रभात फेरी/झांकी आदि को सूचीबद्ध कर सुरक्षा/यातायात व्यवस्था हेतु प्रभावी व्यवस्थापन किया जाये। कार्यक्रम से पूर्व एण्टी–सैबोटॉज चेकिंग अवश्य करा ली जाए। समस्त कार्यक्रम स्थलों पर प्रवेश एवं निकास द्वारों पर विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किये जाये, रूफ–टाप ड्यूटी लगायी जाये तथा सुनियोजित ट्रैफिक प्रबन्ध किया जाए।
- रेलवे स्टेशन/मेट्रो स्टेशन/बस स्टेशन/एयरपोर्ट, सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन के स्थल/शॉपिंग माल, होटल, धर्मशाला, गेस्टहाउस/भीड़–भाड़ वाले स्थानों एवं धार्मिक स्थलों पर विशेषरूप से सुरक्षा प्रबन्ध किये जायें तथा सुरक्षा कर्मियों को विधिवत ब्रीफ करने के उपरान्त ड्यूटी पर लगाया जाए।
- प्रदेश एवं जनपदों के समस्त प्रवेश द्वारों पर निरन्तर प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित की जाये। समस्त चेकपोस्ट एवं बैरियर ड्यूटी को सतर्क व समुचित ब्रीफ किया जाए। समस्त सी0सी0टी0वी0 कैमरों को क्रियाशील रखा जाए।
- माइक्रोलाइट एयर क्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हैंगग्लाइडर, ड्रोन्स एवं अन्य मानव रहित विमानों की उड़ानों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। नियमों एवं मानको के विपरीत इनकी उड़ान प्रतिबन्धित की जाए।
- जनपदीय अभिसूचना तन्त्र व सोशल मीडिया सेल को सक्रिय कर दिया जाए। प्रतिबन्धित संगठनों तथा आतंकवादी संगठनों से सम्बन्धित प्रत्येक गतिविधि पर गहन निगरानी एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

- अन्य प्रदेशों के सीमावर्ती जनपदों से अवांछनीय तत्वों/संगठनों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुये रेल, सड़क एवं हवाई आवागमन पर विशेष सतर्कता बरती जाए।
- अवैध शस्त्रों/कारतूसों, शराब एवं विस्फोटक पदार्थों की तस्करी रोकने एवं संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु स्थायी चेक पोस्ट के अतिरिक्त अस्थायी चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की आकस्मिक चेकिंग करायी जाए।
- विभिन्न आवासीय कालोनियों में किरायेदारों का अभियान चलाकर सत्यापन अवश्य करा लिया जाए।
- संवेदनशील धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा निर्धारित एस0ओ0पी0 के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।
- समस्त जनपद/कमिश्नरेट में नियमित रूप से प्रातःकालीन पोस्टर पार्टी का गठन कर चेकिंग सुनिश्चित की जाये।
- स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों की अचूक सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं पुलिस बल को समुचित ब्रीफ करते हुए उच्च सतर्कता रखी जाए। इस सम्बन्ध में नियमित चेकिंग, प्रभावी फुट पेट्रोलिंग एवं अधिक से अधिक बल के साथ फ्लैग मार्च किया जाये।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर सुरक्षा के दृष्टिगत निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

- समस्त जनपदों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से सम्बन्धित समस्त आयोजन, पंडाल, मंदिर एवं जुलूसों को सूचीबद्ध कर योजनाबद्ध पुलिस व्यवस्थापन किया जाये। समस्त आयोजनों/कार्यक्रमों में आने वाले श्रद्धालुओं की सम्भावित संख्या का आंकलन करते हुये तद्नुसार सुदृढ़ सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्ध किया जाय। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर जनपद स्तर पर पुलिस प्रबन्ध वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने निर्देशन में तैयार कराया जाये।
- प्रत्येक थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर तथा रजिस्टर नं०–08 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय तथा किसी नई परम्परा की अनुमति कदापि न दी जाय। असामाजिक/साम्प्रदायिक तत्वों की सूची को अद्यावधिक किया जाय और तद्नुसार आवश्यकता पड़ने पर इन साम्प्रदायिक एवं अवॉछनीय तत्वों के विरुद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- जनपदों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के विभिन्न कार्यक्रमों मेला के आयोजकों/प्रबन्धको तथा धर्मगुरूओं के साथ गोष्ठी कर ली जाये। गोष्ठी में स्थानीय मजिस्ट्रेट व विद्युत, नगर निगम, जल निगम, पीडब्लूडी आदि विभागों के अधिकारियों को भी आमंत्रित कर आयोजकों द्वारा संज्ञान में लायी गयी समस्याओं का सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर निस्तारण कराया जाये।
- विगत वर्षों में अथवा इस वर्ष अभी तक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व से सम्बन्धित जिन–जिन स्थानों पर किसी प्रकार का विवाद परिलक्षित हुआ हो, वहाँ पुलिस एवं राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा स्थिति का अध्ययन कर विवाद को सुलझाने तथा संवेदनशीलता को दूर करने के लिये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- समस्त जनपदों की पुलिस लाइन तथा मंदिरों में वृहद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सम्मिलित होते हैं। इन कार्यकमों को सम्पन्न कराने हेतु जनपदीय प्रभारी द्वारा प्रभावी सुरक्षा /यातायात प्रबन्धन किया जाये।
- अधीनस्थ कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि वे अपने बीट में जाकर सभी प्रकार के विवाद आदि की जाँच कर लें एवं बीट सूचना प्राप्त होते ही वरिष्ठ अधिकारी मौकों पर जाकर विवाद को समय रहते हल कर लें। आवश्यकतानुसार विभिन्न विवाद के स्थलों, मार्गो का भ्रमण जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी द्वारा भी कर लिया जाये।
- शोभायात्रा/जुलूस के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत समुचित वीडियोग्राफी करायी जाये। समस्त कार्यकम स्थलों के आसपास तथा जुलूसों के मार्ग पर स्थित सीसीटीवी कैमरो को सक्रिय/क्रियाशील करा लिया जाये। महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरा से भी चेकिंग करायी जाये।
- शोभायात्रा/जुलूसों में सुरक्षा के लिये योजनावद्ध रूप से पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध किया जाय। समस्त महत्वपूर्ण आयोजनों में राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस व्यवस्थापन किया जाये।
- थाना प्रभारी/क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुये तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर विवाद को हल करने तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को समाप्त करने हेतु कड़े एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा संवेदनशील एवं साम्प्रदायिक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाये।

- आवश्यकतानुरूप समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं संवदेनशील/धार्मिक स्थानों पर आवश्यकतानुसार चेकिंग करायी जाये। जॉच/चेकिंग हेतु यथावश्यक श्वानदल, बम निरोधक दल आदि का भी प्रयोग किया जाये।
- महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में सादी वर्दी में पुरुष एवं महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाये।
- विभिन्न शहरों, कस्बों तथा मोहल्लों में पूर्व में गठित शान्ति समितियों की बैठक आयोजित कर सम्मान्त नागरिकों, शान्ति समितियों के सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जाये।
- जनपद में उपलब्ध कर्मियों तथा संसाधनों का पूर्णरूपेण उपयोग किया जाए। जनपद मुख्याालय पर पर्याप्त संख्या में पुलिस/पीएसी बल रिजर्व में रखा जाय। जनपद स्तर पर आकस्मिक घटना को दृष्टिगत रखते हुये एक योजना तैयार कर समय–समय पर रिहर्सल आदि भी करा लिया जाय। भीड़ नियंत्रण दंगा नियंत्रण से सम्बन्धित उपकरणों को तैयारी की हालत में रखा जाय।
- स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विभिन्न असामाजिक, अवॉछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाय एवं विभिन्न अभिसूचना इकाईयों के माध्यम से प्राप्त होने वाली लाभप्रद सूचनाओं के आधार पर समय रहते प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाये। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे–फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं बाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित होने पर संज्ञान में आते ही उसे ब्लॉक करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए प्रभावी खण्डन किया जाये।
- दिनांक 14.08.2025 को चेहल्लुम तथा दिनांकः 16.08.2025 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का भी पर्व मनाया जायेगा। इस सम्बन्ध में दोनों के आयोजकों से मजिस्ट्रेट के साथ वार्ता/गोष्ठी कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कहीं कोई विवाद न होने पाये। जनपद के पुलिस प्रबन्ध योजना में इसका समावेश करते हुये बरिष्ठ अधिकारी स्वयं अपने पर्यवेक्षण में पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित करायें।

————

दिनांक 13.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 19/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

ए0एन0टी0एफ0 थाना बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 किलो 60 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत (लगभग 02 करोड़ 12 लाख रुपये) व 01 अदद मोटरसाइकिल स्पलेन्डर बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक ए0एन0टी0एफ0 लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ थाना बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 सक्रिय तस्कर सीताशरण तिवारी उम्र करीब 47 वर्ष पुत्र स्व0 कुंज बिहारी तिवारी निवासी ग्राम इटौरा थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी (उ0प्र0) को पकड़ कर, उसके कब्जे से 01 किलो 60 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत (लगभग 02 करोड़ 12 लाख रुपये) व 01 अदद मोटरसाइकिल स्पलेन्डर बरामद कर, गिरफ्तार किया गया । थाना पटरंगा, जनपद अयोध्या में मु0अ0सं0 200/2025 धारा 8/21/29/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 पंजीकृत कराकर, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरणः–

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त से गहनता से पूछताछ की गई तो अभियुक्त सीताशरण तिवारी द्वारा बताया गया कि मैं अपने साथी के साथ अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करता हूँ । आज हम दोनों को यह माल रामसनेही घाट बाराबंकी के रहने वाले एक व्यक्ति ने बेचने के लिए दिया था । मैं उसका नाम नहीं जानता हूं । उसने बताया था कि वह यह माल नेपाल से लाकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचता है ।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1. सीताशरण तिवारी पुत्र स्व0 कुंज बिहारी तिवारी निवासी ग्राम इटौरा थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी (उ0प्र0) उम्र करीब 47 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

दिनांकः 12.08.2025 समयः 21.50 बजे स्थानः बी0पी0 मवई पेट्रोल पम्प के निकास गेट के पास बहदग्राम बाबूपुर थाना पटरंगा जनपद अयोध्या ।

कुल बरामदगीः–

1. 01 किलो 60 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत (लगभग 02 करोड़, 12 लाख रुपये) ।
2. 01 मोटरसाइकिल स्पलेन्डर ।
3. 01 कीपैड मोबाइल फोन ।
4. रूपया नगद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम ए0एन0टी0एफ0 थाना बाराबंकीः–

1. प्र0नि0 अयनुद्दीन थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
2. उ0नि0 श्री करुणेश पाण्डेय थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
3. उ0नि0 श्री कुलदीप शर्मा थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
4. उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
5. हे0का0 दीपक कुमार थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
6. हे0का0 आदिल हाशमी थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
7. हे0का0 वेदप्रकाश दुबे थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
8. हे0का0 आलोक सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
9. हे0का0 कौशल यादव थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
10. का0 कृष्ण कुमार यादव थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
11. का0 अभिषेक सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।

सहयोगार्थ टीमः– थाना पटरंगा, जनपद अयोध्या ।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना अनवरगंज

- **01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 13.08.2025 को थाना अनवरगंज व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुरबतुल्ला पार्क से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमजद उर्फ बच्चा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अनवरगंज पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 01 लाख रूपये का पुरस्कार का घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के थाना अनवरगंज पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अनवरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमजद उर्फ बच्चा निवासी गुरबतुल्ला पार्क थाना अनवरगंज, कानपुर नगर।

जनपद इटावा/थाना फ्रेण्डस कालोनी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **4050/–रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 12/13.08.2025 की रात्रि थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुलायमनगर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त वाजिद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से

4050/—रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना फ्रेण्डस कालोनी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद इटावा, फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वाजिद निवासी जैन नगर फकीर टोला कस्बा व थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—4050/—रूपये नगद।

2—01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली कटरा

- **पुलिस कार्यवाही में 20—20 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी गयी पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **लूट के 3980/—रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 13.08.2025 को थाना कोतवाली कटरा, थाना चील्ह व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ओझाला पुल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—प्रिन्स घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—अमन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी पीली—सफेद धातु के आभूषण, लूट के

3980/—रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मीरजापुर से वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20—20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त प्रिन्स के विरूद्ध जनपद मीरजापुर, भदोही, कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानों पर लूट, सदोष मानव बध, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कटरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रिन्स निवासी ग्राम जगन्नाथपुर गोहिया थाना गोपीगंज जनपद भदोही।

2—अमन निवासी ग्राम चेकबेसाहू थाना गोपीगंज जनपद भदोही ।

बरामदगी

1—लूटी गयी पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—लूट के 3980/—रूपये नगद।

3—चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना कटरा

01 अभियुक्त गिरफ्तार

150 ग्राम अवैध स्मैक (पाउडर) बरामद

दिनॉकः 13.08.2025 को थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हुलास नगला अंडर ब्रिज के नीचे से अभियुक्त इरफान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 150 ग्राम अवैध स्मैक (पाउडर) बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इरफान निवासी चमन नगरिया थाना नवाबगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–150 ग्राम अवैध स्मैक (पाउडर)।

- **जनपद बागपत/महिला थाना बागपत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा महिला थाना बागपत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि की सपठित धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट, धारा 504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सन्नी को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

————————